Form No. III

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ

परमेश्वरी **बनाम** ~~जगदीश~~ बीरबल

अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर– /2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज	नम्बर व तारीख जारी हुक्म
8.5.2019	आज यह पत्रावली। वकील प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की वादीनी ने इस वाद को दिनांक 24.9.2018 को विड्रो कर लिया है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा दिनांक 14.1.2015 को जबाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया था। जिसका निर्णय नही कर वादी का वाद विड्रो कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादिनी संख्या 4 तीजूदेवी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के मुताबिक प्रतिदावा का निर्णय करने का आदेश प्रदान करे। वकील प्रतिवादी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमांबदी संम्वत 2069 से 2072 खसरा नम्बर 195 तादादी 13.57 ग्राम रोही बिग्गा के नामान्तरकरण संख्या 31 स्वीकृत दिनांक 20.8.2008, नामान्तरकरण संख्या 59 स्वीकृत दिनांक 15.10.2008 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 के पति स्व. जगदीश पुत्र किसनाराम जाति बावरी निवासी बिग्गा के नाम 3/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 का पति फौत हो चूका है जिसकी वारिस तीजूदेवी वारिसनामा अनुसार एक है। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है। वादगत खेत खसरा नम्बर 195 तादादी 13.75 हैक्टयर वाके रोही बिग्गा में प्रतिवादी संख्या 4 को 3/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। निर्णय 8.5.2019 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	

Scanned by CamScanner